



**INDIA NON JUDICIAL**  
**Government of Uttar Pradesh**

\*-Stamp

**SIGNATURE**

AGC Name: Vijay Bahadur  
 AGC Code No - UP14424204  
 AGC Address: Japlinganj, Ballia  
 License No - 718/2020

Districtal Compound, Ballia (U.P.)  
 Pin No - 2200058226

Certificate No.  
 Certificate Issued Date  
 Account Reference  
 Unique Doc. Reference  
 Purchased by  
 Description of Document  
 Property Description  
 Consideration Price (Rs.)  
 First Party  
 Second Party  
 Stamp Duty Paid By  
 Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP49783732084005U  
 14-Nov-2022 06:23 PM  
 NEWMPACC (SV) HP14424204 BALIA SADAR UP-BH  
 SUBIN-UP14424204182480387756797U  
 SHRI NATH BABA SHIKSHAN SEVA SANSTHAN  
 Article 4 A/HB/IV  
 Not Applicable  
 SHRI NATH BABA SHIKSHAN SEVA SANSTHAN  
 Not Applicable  
 SHRI NATH BABA SHIKSHAN SEVA SANSTHAN  
 100  
 (One Hundred only).




Please write or stamp below this line



### UNDERTAKING FOR PARENT HOSPITAL

This is certify that Shri Nath Baba Hospital and Research Centre, Nagra , Dist- Ballia, UTTAR PRADESH 221711 is a 150 bedded hospital which is running under SHRI NATH BABA SHIKSHAN SEVA SANSTHAN (SOCIETY), Dist- Ballia, UTTAR PRADESH 221711. SHRI NATH BABA SHIKSHAN SEVA SANSTHAN (SOCIETY) here by agree that Shri Nath Baba Hospital and Research Centre will be the Parent hospital of the nursing college named , Shri Nath Baba Nursing and Paramedical College address- village- Uraini, post- Nagra teh- Rasra district- Ballia , UTTAR PRADESH 221711 which is also under the same society and we, the society have no objection for giving clinical practice for the nursing students in Shri Nath Baba Hospital and Research Centre and assuring that, this hospital will not be a parent hospital or will not be affiliated for any other nursing institution.



Tantamount to say that the Shri Nath Baba Hospital and Research Centre is affiliated exclusively to Shri Nath Baba Nursing and Paramedical College, not to any other college and the governing body of Shri Nath Baba Hospital And Research Centre that is Mr Santosh Kumar Singh, the Chairman of the institution's trust.

Signature of chairman

MR. SANTOSH KUMAR SINGH

Signature of other Society members

- 1- Smt Motisari Devi Motisari Devi
- 2- Shri Ram Anuj Singh Ram Anuj Singh
- 3- Shri Mahender Singh Mahender Singh
- 4- Smt Sashi Bala Singh Sashi Bala Singh
- 5- Shri Rakesh Singh Rakesh Singh
- 6- Smt Shikha Singh Shikha Singh
- 7- Smt Babita Singh Babita Singh
- 8- Shri Rajni Shankar Singh Rajni Singh
- 9- Shri Rajesh Kumar Singh Rajesh Kumar Singh
- 10- Shri Narendra Singh Narendra Singh
- 11- Smt Raj Kumari Raj Kumari

15/11/2022



Provisional registration No:0919300005



**GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH**

**District Registering Authority  
BALLIA**

**CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION**

This is to certify that *Shri Nath Baba Hospital And Resarch Centre (Shri Nath baba S* located at *Nagra Ballia* owned by *Santosh Kumar Singh* has been granted provisional registration as a clinical establishment under Section 15 of The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010. The Clinical Establishment is registered for providing medical services as a *Hospital,Nursing Home,MultiHome, Single Practitioner,Polyclinic, Pathology,Haematology,Biochemistry,Collection Centre, Xray Centre,ECG Centre* under *Allopathy* System of Medicine.

This Certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

**DRA: Ballia**

Designation of the Issuing Authority

Place: Ballia

Date of Issue: 24/04/2023

*Terms and Conditions of Registration\**

1. The holder of this Certificate of Registration shall comply with all the provisions of Clinical Establishment Act (Registration and Regulation) 2010 and the Rules made there under.
2. The Certificate of Registration is not transferable. The Certificate of Registration shall be displayed in a prominent place in a part of the premises open to the public.
3. Any change of ownership or change of category or change of management or on ceasing to function as a clinical establishment, the certificate of registration shall be surrendered to the authority and application for fresh registration submitted.

\*Additional terms and conditions are as stipulated by the appropriate registering authority.

[http://clinicalestablishments.gov.in/AuthenticationPages/UserLanding\\_certs.aspx](http://clinicalestablishments.gov.in/AuthenticationPages/UserLanding_certs.aspx). Date 24/04/2023

प्रारूप-9  
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00127/2022-2023

दिनांक 07/05/2022



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र  
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

नवीनीकरण

संख्या:R/BAL/01705/2022-2023

पत्रावली संख्या:AZ-22841 दिनांक:2017-2018

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्रीनाथ बाबा शिक्षण सेवा संस्थान, ग्राम-उरैनी, पोस्ट-कोदई, नगरा, तहसील-रुड़ा, जिला-बलिया, 3070, बलिया, 221711 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 110/2017-18 दिनांक-02/05/2017 को दिनांक-02/05/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।  
1000 रुपये की नवीनीकरण फ्रीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By

(SANTOSH KUMAR SINGH)

E04CA903373B698750E71464E71BC6EDA01D3910

Date: 07/05/2022 1:52:50 PM, Location: Azamgarh.

जारी करने का दिनांक-07/05/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 676079

इह अनलॉक स्टाम्प येचकी नाम वाबा शिवाण रौपा सरथान  
 ग्राम-उर्मीपा-कोषुड (गोरारा)  
 जिला दालिया डाक नं  
 क्रमांक-पत्र के साथ संलग्न है।



सत्य प्रतिलिपि  
 (13)  
 सहायक निबंधक  
 कर्त्ता सोसाइटीज एवं चिरस  
 09-05-17  
 आजमगढ़ ।

## :- सूति-पत्र :-

- १: संस्था का नाम : श्रीनाथ बाबा शिक्षण सेवा संस्थान
- २: संस्था का पता : ग्राम-उरैनी, पोर्ट-कोर्डइ (नगरा) तहसील-रसड़ा, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश।
- ३: संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
- ४: संस्था के उद्देश्य : १- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए पूर्व-प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/ बालिका, विद्यालयों, नहाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों, कान्वेण्ट पब्लिक विद्यालयों, बालश्रमिक विद्यालयों, आश्रम पद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू अरबी, फारसी, हिन्दी, तेलगु, बंगली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, तथा प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, पौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, पुष्टाहार योजनाओं, सर्वशक्ति अभियान कार्यक्रमों, किसान विद्यालयों, मेडिकल कालेज, फार्मेसी कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, आईटीआई, चरवाहा विद्यालयों, गुरुकुल आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुभूति से करने का प्रयास करना।
- २- क्षेत्र के समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग कमीशन/ बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रवृत्तियों व पैटर्न के अनुसार मुख्यतः खादी और ग्रामोद्योगी गतिविधियों को अपनाना व विकास की अन्य योजना बनाना तथा खादी ग्रामोद्योग व अन्य ग्रामीण उद्योग के विकास/ प्रसार हेतु प्रशिक्षण साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था करना।
- ३- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत देश व प्रदेश व क्षेत्र में जेतना भी सम्भव हो सेवा करना, ऐसा कोई कार्य न हो जिससे राष्ट्र, समाज का नुकसान हो, दीन दुखियों की सेवा, पर्यावरण पर जो, अन्तर्राष्ट्रीय आपदा में यथासम्भव सहयोग, राष्ट्र के नागरिकों में चारित्रिक, नैतिक बल प्रदान करना, समाज की कुरीतियों, समाज में शिक्षा के बढ़ावा हेतु प्रशास करना तथा क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को उठाने हेतु स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा सेवाओं के विकास की योजनाएं बनाना तथा कार्यक्रम चलाना।
- ४- मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उक्त सलाह देना तथा जगह जगह निःशुल्क नसवंदी शिविरों, टीकाकरण शिविरों, पत्सपौलियों शिविरों, दवाखानों, धैरयेत्वुल अस्पतालों, एड्स, अपंता, कुछ अंधता, निवासन केन्द्रों जच्छा - बच्छा केन्द्र आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुभूति से करना।
- ५- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कंप्यूटर प्रशिक्षण, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सफ्टवेयर, सिलाई, कडाई, कटाई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर, शिल्पकला, शिल्पकला, काष्ठकला, दरी बुनाई, टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकलस एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, पेटिंग, जरी कडाई, चिकन कडाई, कालीन बुनाई, सीनीत, नाट्य, बाद्री, कला, नृत्य, मोटरट्रैनिंग कालेजों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, व्यूटी पार्लो, फोटोग्राफी, पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, ए.सी.री.फोरेशन, फैशन-डिजाइनर, एक्सीरीशन, टेक्नोशियन, लैब, पैथोलोजिस्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, मास क्यूनिकेशन, सफ्ट ट्रॉयज, नृत्य थियेटर, डाटा योजना कलेक्शन, माइलिंग, डालमेकिंग, फ्लॉवर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, स्क्रीन प्रिटिंग, आपसेट प्रिटिंग, बाल पेटिंग, कौशल विकास आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना।
- ६- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अनाथाश्रम, अनाथालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, कीडास्थलों, छात्रावासों, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतनों, बाल संरक्षण गृहों, सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
- ७- गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अनाथ, गरीब, हरिजन, विकलांग, मेधावी, निराश्रित, असहाय, मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों, वीरांति प्राप्त, विकलांग सैनिकों के बच्चों, बाल श्रमिकों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तके प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना।

**सत्य (प्राप्तिलिपि)**

सहायक निबन्धक  
फर्स सोसाइटीज एवं चित्सु  
आजमगढ़।

०९-५-१७

- ८- गांवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह जगह चौपालों, जन जागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, आदि के द्वारा लोगों के घरों में शैक्षणिक बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह जगह निःशुल्क शैक्षणिक सेवाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास करना।  
क्षेत्र के छात्र छात्राओं को हर विषय पर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना।  
स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों में विज्ञन प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच व परीक्षण करना एवं समय समय पर टीकाकरण आदि करने का प्रयास करना।
- ९०- समयानुसार संस्था के विकास हेतु हाईस्कूल, इण्डियन कालेज, डिग्री कालेज, तकनीकी शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन सम्बन्धित विभाग की अनुमति से करने का प्रयास करना।
- ९१- बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुओं, मजदूरों को मुक्त कराकर उहें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।
- ९२- विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों का क्रय व वितरण करना विभागीय अनुमति से विकलांग विद्यालय आदि की स्थापना व संचालन करना।
- ९३- पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु मदेशी खानों, पशु अस्पतालों, प्रदूषण जांच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
- ९४- मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु माइनारिटी के नियमानुसार अल्पसंख्यक विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना करके अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास करना तथा मजहबे इस्लाम की तबलीग करना।
- ९५- मुस्लिम माइनारिटी के नियमों का पालन करते हुये मदरसों, मकातबों, तहतानिया, फैकनिया, आलिया, हाफिज़, कारी, मुन्शी, मौलवी, कामिल, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, निशा मदरसों तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।
- ९६- बालक/बालिकाओं, कलाकारों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय समय पर खेलों, सेमिनारों, गोइयों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन, संचालन करना तथा सफल बालक/बालिकाओं, कलाकारों को पुरस्कृत करना।
- ९७- भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला, तहसील, ब्लॉक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।
- ९८- बाटरशेड एसोसिएशन/जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेंट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- ९९- कृषि उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकी यंत्रों, खाद्य, बीजों, कीटनाशक दवाओं, उसर भूमि सुधार, खाद्यों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उहें उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- १०- दैवीय आपाद यथा बाढ़, सुखा, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि, तूफ़ान आदि के समय लोगों की यथा सम्पद मदद करना तथा ऐडितों को निःशुल्क भोजन ददा इलाज, आवास वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना।
- ११- गरीब, असहाय, निराश्रित, बालक बालिकाओं की सामूहिक व पृथक पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ, टेन्ट, आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास कराना तथा उहें जीविकोपार्जन हेतु धरेतू सामानों का वितरण करना।

सत्य-प्रतिलिपि

(13) सहायक निवन्धक  
कर्त्ता सोसाइटीज एवं विद्यालय  
आजमगढ़ ०९-५-१४

- २३- वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोतों एवं साधनों का विकास करना, उन पर महत्वपूर्ण शोध करना, उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना, देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके प्रचार प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्रालय, भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कायशालाओं एवं गोष्ठी का आयोजन करना।

२४- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग की अनुमति से सी०वी०एस०इ०विद्यालयो, आई०एस०सी०विद्यालयो व बी०एड०, बी०पी०एड०, बी०टी०सी० आदि की स्थापना कर बच्चों व बच्चियों को शिक्षित व प्रशिक्षित करने का प्रयास करना।

२५- समाज में व्याप्त कुपीतियों, यथा दहेज, बाल विवाह, नशा, शराब, गांजा, अपील, भांग, तम्बाकू, आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केंद्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों/ पदाधिकारियों के नाम, पिता/पति का नाम, पता तथा पद व व्यवसाय जिनको संरक्षा के बारे कार्यभार सौंपा गया है :-

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१-श्रीमती मोतिशरी देवी		स्व०विश्वनाथ सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई (नगरा), बलिया।	अध्यक्ष	स०सेवा
२-श्री रामअनुज सिंह		श्री धीरेन्द्र सिंह	ग्राम जगदीशपुर पो०रसड़ा, जिला बलिया।	उपाध्यक्ष	स०सेवा
३-श्री सनोष कुमार सिंह		श्री विश्वनाथ सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	प्रबन्धक/सचिव	स०सेवा
४-श्री महेन्द्र सिंह		स्व०वीरबहादुर सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	उपप्रबन्धक/उपसचिव	स०सेवा
५-श्रीमती शशिबाला सिंह		श्री राजेश कुमार सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
६-श्री राकेश सिंह		स्व०विश्वनाथ सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	सदस्य	कृषि
७-श्रीमती शिखा सिंह		श्री राकेश सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	सदस्य	गृहिणी
८-श्रीमती बबिता सिंह		श्री संतोष कुमार सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	सदस्य	गृहिणी
९-श्री रजनीशंकर सिंह		श्री रमाशंकर सिंह	ग्राम००-०-त्रसड़कता, जनपद-बलिया।	सदस्य	कृषि
१०-श्री राजेश कुमार सिंह		स्व०विश्वनाथ सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	सदस्य	कृषि
११-श्री नरेन्द्र सिंह		श्री जगदीश सिंह	ग्राम व पोस्ट जिग्नी, जिला बलिया।	सदस्य	कृषि
१२-श्रीमती राजकुमारी		श्री रजनीशंकर सिंह	ग्राम व पोस्ट जिग्नी, जिला बलिया।	सदस्य	कृषि
१३-प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक			विद्यालय	पदेन सदस्य	शिक्षक
१४-सहायक अध्यापक			"	"	"
१५-सहायक अध्यापक			"	"	"

६: हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति-पत्र व संलग्न नियमबंदी के अनुसार सोरजिए० ७८६० की धारा २९ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं।

दिनांक- 25/04/2017 Signatash Karm Y

सभी प्रदानिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर-

कार्तिकी

prahindra

ब्रह्मा

सभा पदाधिकारी/सदस्य

हस्ताक्षर-  
R S. S. G. L.

pages 18

1. ~~ceg~~  
met ~~att~~

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक नियम

## साधारणक नवन्यक


आजमगढ़ ०९-५-१७



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

58AE 694689

महाराजा राजेन्द्र मुख्यमंत्री  
बाल शिक्षण एवं प्रशिक्षण  
मंत्रालय पाठ्यपत्र क्र. No. 22841  
रुपयों निपांगली दर्ज है।



सत्य-प्रसिद्धि  
५२५३)२०२३  
संस्कृत विषयक  
ज्ञान सेवन एवं विद्या

## :- संशोधित नियमावली :-

१: संस्था का नाम	:	श्रीनाथ बाबा शिक्षण सेवा संस्थान
२: संस्था का पता	:	ग्राम-उरैनी, पोरट-कोर्ड (नगरा) तहसील-रसड़ा, जिला-बलिया, उप्र०।
३: संस्था का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
४: संस्था के उद्देश्य	:	सृति-पत्र के अनुसार
५: संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:-		
आजीवन सदस्य-		जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त में कम से कम २०००/- रुपया उससे अधिक मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से सदस्यता शुल्क के स्वरूप देंगे तथा संस्थाहित में कार्य करेंगे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।
विशिष्ट सदस्य		जो व्यक्ति संस्था के प्रति हितैषी भाव रखने वाले होंगे तथा संस्था को ५०० रुपया हर पांचवे साल सदस्यता शुल्क देते रहेंगे संस्था के विशिष्ट सदस्य बने रहेंगे।
सामान्य सदस्य-		जो व्यक्ति संस्थाहित में सदैव कार्यरत रहेंगे तथा संस्था को ५१/- रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क देते रहेंगे, संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेंगे।
सदस्यता ग्रहण करने की अर्हता:-		वह भारतीय नागरिक हो तथा उसकी उम्र १८ साल या उससे अधिक हों।
६-सदस्यता की समाप्ति-		१-मृत्यु होने पर। २-पागल अथवा दिवालिया घोषित किये जाने पर। ३-संस्था विरोधी कार्य करने पर। ४-त्याग पत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। ५-लगातार तीन बैठकों में दिन कोई उचित सूचना दिये अनुपस्थित होने पर। ६-किसी न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक आपराधिक केस में दोष सिद्ध किये जाने पर। ७-सदस्यता शुल्क समय से ज्ञ अदा करने पर। ९-साधारण सभा २-प्रबन्धकारिणी समिति

### ७-संस्था के अंग:-

#### ८-साधारण सभा:-

गठन-

बैठक-

सूचना अवधि:-

कोरम-

नियमावली के नियम ५ के सभी सदस्य मिल कर साधारण सभा का गठन करेंगे।  
साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी, आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।  
साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को निश्चित सूचना के आधार पर १३ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना १ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों का २/३ होगा, कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेंडे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि:- साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा जिसकी तिथि, कार्यक्रम व समय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित ही जायेगी।

सत्य-प्रतिलिपि

३२१३/२०२३। १०.८.२४  
साधारण विषयक  
प्रस्तुति रोताइनी एवं विद्युत  
कृष्ण आमताड़।

Rakesh  
Gaurav Balwajra  
Rakesh Singh



### साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-

- १-प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव कराना।
- २-संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना।
- ३-संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

### ४-प्रबन्धकारिणी समिति:-

उपाध्यक्ष

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष पदाधिकारी एवं सात सदस्य व ३ पदेन सदस्य होंगे और कुल की संख्या-१५ होगी। जो स्मृति-पत्र की धारा ५ के अनुसार होगा।

वैठक

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम दो बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती हैं।

सूचनाअवधि

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों/ पदाधिकारियों को कम से कम ६ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना २ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

कोरम

प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम कुल सदस्यों / पदाधिकारियों का २/३ बहुमत के आधार पर माना जायेगा, कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेंडे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति-प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकस्मिक रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आधार पर शेष काल के लिए साधारण सभा में से नियमानुसार की जायेगी।

### प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य:-

- १-संस्थाहित में शाखा संस्थाओं के संचालन हेतु उपसमितियों उपक्रमेटियों का गठन एवं संचालन करना।
- २-संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे साधारण सभा से पास कराना।
- ३-कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/पदच्युति/वेतनवृद्धि /नियमितीकरण एवं अन्य कार्यवाही किसी सक्षम पदाधिकारी की लिखित संस्तुति पर करना।
- ४-संस्था के लिए सम्पत्ति जुटाना।
- ५-स्वयं के भंग होने अथवा कार्यकाल बढ़ाये जाने पर नये चुनाव तक कार्य करना।

कार्यकाल:-

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर पांच साल तक होगा।

### ९०-प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का अधिकार व कर्तव्य:-

अध्यक्ष:-

- १- सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
- २- बैठकों को बुलाना तथा उसका अनुमोदन करना।
- ३- बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम करना।
- ४- बैठकों की तिथि समय व स्थान का निर्धारण करना।
- ५- बैठकों में प्रस्ताव रखना तथा दूसरों को प्रस्ताव रखने की अनुमति देना।

उपाध्यक्ष:-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके पूर्व निर्देशानुसार समस्त कार्यों को करना।



सत्य-प्रतिलिपि  
४२३/३/२०२३  
साधारण सभा  
प्रबन्धकारिणी समिति  
द्वारा रोताइटीज एवं चिट्ठा  
द्वारा आपूर्ति।

SIC. ८४

Rakesh  
Chauhan  
SIC. ८४

- प्रबन्धक/सचिव:- १- साधारण सभा की बहुमत की मांग पर कार्यकारिणी भंग करना, कार्यकाल बढ़ाना तथा आवश्यकतानुसार पुनः चुनाव करना।  
 २- दोनों सभाओं में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अंतिम रूप देना तथा उन्हें क्रियान्वित करना।  
 ३- वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा क्षमादान का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना।  
 ४- बैठकों में विज्ञ पहुंचाने वाले दोषी लोगों को बैठक से निष्कासित करना तथा उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करना तथा त्याग पत्र स्वीकार करना।  
 ५- किसी विवाद के निस्तारण में समान मत हो जाने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।  
 ६- संस्था के धन को संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।  
 ७- संस्था के समस्त मूल अभिलेखों/दस्तावेजों का अपने पास रख रखाव एवं सुरक्षा करना।  
 ८- संस्था के पक्ष में मिलने वाले ऋण, अनुदान, दान, चन्दा, भूमि, भवन, वाहन, आदि को प्राप्त करना तथा उसकी यथा विधि रसीद देना।  
 ९- बैठकों की कार्यवाही करना तथा उनको रजिस्टर पर नोट करना या किसी से नोट करवाना।  
 १०- संस्था की ओर से समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।  
 ११- कर्मचारियों की नियुक्ति, पदन्वान्ति, पदच्युति, वेतनवृद्धि, नियमतीकरण एवं अन्य कार्यवाही करने के लिए प्रबन्ध समिति को लिखित संस्तुति देना।  
 १२- संस्था के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना तथा दोषी पाये जाने पर उनको दण्डित करना, संतुष्ट होने पर दोषमुक्त करना तथा संस्था/संस्थाओं की किसी कर्मचारी के जांच की अवधि तक निलम्बित करना तथा जांच की रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना।  
 १३- सदस्यों से सदस्यता शुल्क लेना और उसकी रसीद देना।  
 १४- सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना तथा सदस्य बनाना।  
 १५- सदस्यता ग्रहण करने योग्य पात्र व्यक्तियों को अपना अंतिम निर्णय देना।  
 १६- संस्था की चल / अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना।  
 १७- संस्थाओं के लिए वाहन आदि को क्रय करना एवं संस्थावित में सभी प्रकार के कार्य करना।  
 १८- आपात स्थिति में बैठकों को बुलाना।  
 १९- आय व्यय के बजट को पास कराने में मदद करना।  
 २०- बैठकों की तिथि, समय व स्थान की सूचना सदस्यों को देना।  
 २१- संस्था को मजबूत बनाये रखने हेतु कार्य करना।  
 २२- संस्था की ओर से समस्त पत्राचार करना।

उपप्रबन्धक/उपसचिव:-

- कोषाध्यक्ष:- १- प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग उसके पूर्व निर्देशानुसार करना।  
 २- आय-व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।  
 ३- प्रबन्धक/सचिव की सहमति पर समस्त बिल बाउचरों का भुगतान करना।  
 ४- प्रबन्धक/सचिव की सहमति से समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना।  
 ५- आय व्यय के लेखा जोखा की रिपोर्ट साधारण सभा में पेश कर पास करवाना।  
 ६- संस्था की प्रगति का प्रचार प्रसार करना।  
 ७- समस्त ज्ञापनों - विज्ञापनों का प्रकाशन व भुगतान करना।

सत्य-प्रतिलिपि

३३३/२०२३

साधारण प्रबन्धक

जनरल रोल रीज एवं विट्स

कृत द्वारा

Scg

Rajesh  
Chandru Singh  
Scg

११-संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों के २/३ बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

१२-संस्था की सम्पत्ति का प्रबन्धन :- सौ०रजि०एक्ट १८६० (यथा संशोधित) में निहित प्राविधिकों के अनुसार यह समिति संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था की चल - अचल सम्पत्ति (भूमि / भवन) को आवश्यकतानुसार सम्बन्धित बैंक को बंधक (गिरवी) रखकर बैंक से संस्थाहित में कार्य हेतु ऋण/लोन (सहायता) प्राप्त कर सकती है।

१३-संस्था का कोष:- संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा।

१४-संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट:-संस्था के वर्ष भर के आय व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

१५-संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-

अदालत की कार्यवाही संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दाखिल मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक / सचिव द्वारा संस्था व्यय पर की जायेगी। जो प्रथम बार जनपद-बलिया के न्यायालय में ही देखे जा सकते हैं।

१६-संस्था के अधिलेख:-

- १- सदस्यता रजिस्टर
- २- कार्यवाही रजिस्टर
- ३- स्टाक रजिस्टर
- ४- सूचना रजिस्टर
- ५- कैशबुक, आदि।

१७-संस्था के विषट्टन व विषट्टि के निस्तारण की कार्यवाही सौ० रजि० एक्ट की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक :-

हस्ताक्षर

SK SfH

सत्य-प्रतिलिपि

२०२३/२०२४  
साधारण समिति  
प्रबन्ध सोलहवीं एवं विद्युत  
कूट बोर्ड।

- : सत्यप्रतिलिपि :-

Rakesh  
Shashi Bala SfH  
Rakesh SfH



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

58AE 527824

पश्चिम उत्तर प्रदेश नागरिक भवन  
ग्रिहण ऐवा संस्थान  
कलिपा दस्तावेज़ No. 22841  
क्रमांक १३ दस्तावेज़ संलग्न है  
साल 2023-24



सत्य प्रतिलिपि  
संस्थान निवास  
प्रति सोसाइटीज़ एवं निवास  
आजमगढ़।

श्रीनाथ बाबा शिक्षण सेवा संस्थान, ग्राम-उरैनी, पोस्ट-कोदई नगरा, तहसील-रसड़ा, जिला-बलिया, उत्तरप्रदेश  
के प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष-२०२३-२०२४

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१-श्रीमती मोतिशरी देवी	स्वर्विश्वनाथ सिंह	ग्राम-उरैनी, पोस्ट-कोदई (नगरा) बलिया।	अध्यक्ष	सेवा	
२-श्रीमती शशिबाला सिंह	श्री राजेश कुमार सिंह	ग्राम-उरैनी पोस्ट-कोदई (नगरा) बलिया।	उपाध्यक्ष	गृहिणी	
३-श्री सन्तोष कुमार सिंह	श्री विश्वनाथ सिंह	ग्राम-उरैनी पोस्ट-कोदई (नगरा) बलिया।	प्रबन्धक/सचिव	सेवा	
४-श्री महेन्द्र सिंह	स्वर्विश्वनाथ सिंह	ग्राम-उरैनी पोस्ट-कोदई (नगरा) बलिया।	उपप्रबन्धक/उपसचिव	सेवा	
५-श्री राकेश सिंह	स्वर्विश्वनाथ सिंह	ग्राम-उरैनी पोस्ट-कोदई (नगरा) बलिया।	कोषाध्यक्ष	कृषि	
६-श्री संजोव सिंह	श्री रजनीशंकर सिंह	ग्राम-पोस्ट-रत्सड़कला, बलिया।	सदस्य	सेवा	
७-श्रीमती शिखा सिंह	श्री राकेश सिंह	ग्राम-उरैनी पोस्ट-कोदई (नगरा) बलिया।	सदस्य	गृहिणी	
८-श्रीमती बचिता सिंह	श्री संतोष कुमार सिंह	ग्राम-उरैनी पोस्ट-कोदई (नगरा) बलिया।	सदस्य	कृषि	
९-श्री रजनीशंकर सिंह	श्री रमाशंकर सिंह	ग्राम व पोस्ट-रत्सड़कला, बलिया।	सदस्य	कृषि	
१०-श्री राजेश कुमार सिंह	स्वर्विश्वनाथ सिंह	ग्राम-उरैनी पोस्ट-कोदई (नगरा) बलिया।	सदस्य	कृषि	
११-श्री नरेन्द्र सिंह	श्री जगदीश सिंह	ग्राम व पोस्ट-जिगानी, जिला बलिया।	सदस्य	कृषि	
१२-श्रीमती राजकुमारी	श्री रजनीशंकर सिंह	ग्राम व पोस्ट-रत्सड़कला, जिला बलिया।	सदस्य	कृषि	
१३-प्रधानाधार्य / प्रधानाध्यापक		विद्यालय	पदन सदस्य	शिक्षक	
१४-सहायक अध्यापक		"	"	"	
१५-सहायक अध्यापक		"	"	"	

हस्ताक्षर-

SK Say

Parkash  
Shashi Balaji Singh  
Parkash Singh

प्राथ्य-प्रतिलिपि  
२०२३  
सहायक विद्यालय  
सोसाइटीज एवं सिद्धां  
आगमगढ़।